



## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

एफ.-37/निदे.आयो./प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012/132

दिनांक 12/2/13

### बैठक कार्यवाही विवरण

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 5.11.2012 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की द्वितीय बैठक श्री राजेन्द्र सौलकी, अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2013 को उनके कक्ष में दोपहर 4.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है :-

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 07.01.2013 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

समिति द्वारा विचार-विमर्श सर्व सम्मति से गत एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 07.01.2013 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अभियान अन्तर्गत दिनांक 17.6.99 से पूर्व के जिन प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना है, उन प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 के अनुसार संबंधित उपायुक्त भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर स्वामित्व व अन्य आवश्यक तथ्यों के साथ प्रकरण निदेशक आयोजना को आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु भिजवायें। निदेशक आयोजना द्वारा आपत्ति/सुझाव हेतु आम सूचना जारी किये जाने के उपरान्त संबंधित उपायुक्त प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर, तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरणों को समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

एजेण्डा संख्या 2 :: जोन पश्चिम के प्रकरण।

प्रार्थी श्री अनिल लोहिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान प्रदत्त रियासतों/छूट आदि को नजरअंदाज करते हुए राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 133 (मेध नगर) की आंतरिक सड़क की चौड़ाई को अव्यवहारिक तौर पर पूर्व नियत 30 फुट से बढ़ा कर जेडीए द्वारा 60 किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उप नगर नियोजक प्रश्नगत योजना का क्षेत्र विश्लेषण करे तथा मूल योजना मानचित्र में दर्शाई गई सड़कों के आधार पर क्षेत्रफल विश्लेषण वही प्राप्त होता है, जो कि मूल योजना मानचित्र में अंकित है, तो संबंधित उपायुक्त द्वारा योजना में नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावे।

21

एजेण्डा संख्या 3 :: जोन दक्षिण के प्रकरण।

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 51/29 रकबा 10 बीघा व 51/28, 51/30 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 9.11.2012 के प्रस्ताव संख्या 32 व 33 में अनुमोदित किया जा चुका है। दोनों प्रकरण कृषि आधारित एकल भुखण्ड के हैं, जिनका क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक है।

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या 4 :: जोन उत्तर के प्रकरण।

- A. जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में आरओबी का कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई है।
1. श्री छोट खां पुत्र श्री बुन्दु खां का भुखण्ड संख्या 70/99 क्षेत्रफल 58.81 वर्गगज।
  2. श्री मुन्ना पुत्र श्री मोहम्मद खां भुखण्ड माप 101.11 वर्गगज।
  3. श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री बुन्दु खां का भुखण्ड

उपरोक्त कम संख्या 1 व 2 में अंकित भुखण्ड धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.4.2012 में लिये गये निर्णयानुसार एवं भुखण्ड धारकों की सहमति अनुसार अवाप्त किये गये भुखण्ड के मुआवजे का भुगतान प्राधिकरण द्वारा भुखण्डधारियों को कर दिया गया है।

कम संख्या 3 में अंकित भुखण्ड धारक के पास भुखण्ड के वैधानिक दस्तावेज नहीं होने से अवाप्त किये गये भुखण्ड के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। भूखण्ड धारक श्री अब्दुल रहमान कई वर्षों से उक्त भूमि पर भुखण्ड बनाकर रह रहा है, अतः श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 28.1.13 को आयोजित बैठक में अवगत कराया गया कि नगर निगम जोधपुर ने भुखण्डधारक श्री अब्दुल रहमान के भुखण्ड को नियमन करने की अनुशंसा की है।

अतः भूखण्डधारक श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री बुन्दु खां को समुचित मुआवजा या पूर्णवास की कार्यवाही किए जाने के निर्णयार्थ प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के अधिकारिता का नहीं हैं। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

21

- B. प्रार्थीया श्रीमती सुमन बाहेती द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम पून्दला के खसरा नम्बर 116/2 व 121 के पूर्व स्वीकृत ले-आउट में दर्शित पार्क में विभिन्न व्यक्तियों के 16 भुखण्ड मौके पर स्थित है, जिसमें से 1 भुखण्ड प्रार्थीया द्वारा श्री संजय भाटी पुत्र श्री किशनजी से खरीदसुदा है, जिसके पट्टा विलेख हेतु प्रार्थीया ने दिनांक 11.1.13 को प्राधिकरण में आवेदन कर रखा है। प्रार्थीया द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शित पार्क पर काबिज भुखण्ड धारियों को पट्टा विलेख दिलवाने तथा ले-आउट प्लान में संशोधन की मांग की है।

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में जांच हेतु संबंधित उपायुक्त, उप नगर नियोजक व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त कमेटी प्रकरण में मौका निरीक्षण व पूर्ण तथ्यों की जांच कर, निष्कर्षात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

- C. राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 117 का राजस्व रिकॉर्ड में अनुसार भूमि गैर मुमकिन (कुआ) दर्ज है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त नियमानुसार कार्यवाही करे।

- D. राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 177/14 से 177/29 व 177/30/1 में मुख्य रोड 80 फीट व Inner Road के सीमाकन संयोजित करने है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आंतरिक सडकों की चौड़ाई मौके अनुसार रखी जावें तथा संबंधित उपायुक्त 80 फीट सडक की सुनिश्चिता करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान जारी परिपत्र/आदेश अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

- E. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 28, 29 व 30 में भुखण्ड के खरीद में खसरा नम्बर भिन्न है तथा ले-आउट /लोकेसन से भिन्न है।

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में जांच हेतु संबंधित उपायुक्त, उप नगर नियोजक व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त कमेटी प्रकरण में मौका निरीक्षण व पूर्ण तथ्यों की जांच कर, निष्कर्षात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

- F. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1685, 1686, 1688, 1694 के ले-आउट में प्लॉटिन नम्बरों के क्रम पर व प्लॉटिंग में भिन्नता है। इसके अलावा 1695 के कुछ

भूखण्ड इसमें शामिल बताया गया जबकि खसरा नम्बर मानचित्र के अनुसार 1695 वाले भाग में रास्ता रिक्त है। अतः 1695 की भूमि का भी 90ए के आदेश करना।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1685, 1686, 1688, व 1694 के स्वीकृत ले-आउट प्लान में अंकित भूखण्ड संख्या व मौके पर सर्वे के अनुसार भूखण्ड संख्या दोनों का अंकन करते हुए पट्टा विलेख जारी किये जावे तथा संबंधित उपायुक्त खसरा नम्बर 1695 का अलग से सर्वे करवाकर राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान जारी परिपत्र/आदेश अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

- G. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1547, 1548, 1564 खसरा नम्बर वाले प्लान में रोड के किनारे-किनारे दुकाने हैं। पीछे की तरफ 6 मकानात् है, 3 भाम्बु भवन, 1 गहलोत भवन, 1 भवन, 1 बेक साईड में सुमेरसिंह का मकान, 1 मकान निर्मित है परन्तु रहवास नहीं है।

जोन कार्यालय द्वारा प्रकरणों के पूर्ण तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं तथा जोन की स्पष्ट राय/प्रस्ताव भी अंकित नहीं है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान इस संबंध में जारी परिपत्र/आदेश अनुसार जोन स्तरीय ले-आउट प्लान समिति में निर्णय लेकर कार्यवाही करे।

एजेण्डा संख्या 5 :: अन्य अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।


बैठक में उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 287, 287/350 रकबा 90 बीघा 2 बिस्वा व 288 रकबा 23 बीघा कुल रकबा 113 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर खेतेश्वर नगर के वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान में छोड़े गये पार्क ऑपन स्पेश एवं सुविधा क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष भूखण्डों के पट्टा विलेख प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान जारी किये जा रहे हैं।


उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में उक्त ले-आउट प्लान में दर्शित सुविधा क्षेत्र तथा मौके पर छोड़े गये वास्तविक सुविधा क्षेत्र में अन्तर है तथा शेष रहे कंटाओं द्वारा बार-बार भूमि के पट्टे जारी करने की मांग की जाती रही है। मौके पर नक्शे के अनुसार बसावट नहीं हैं। अधिकांश प्रकरणों में ले-आउट प्लान अनुमोदन होने के तिथि से पूर्व के पंजीकृत विक्रयनामा निष्पादित किये हुए हैं। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।


22


बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत भूमि का आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से सर्वे करवाया जावे तथा सर्वे में सुविधा क्षेत्र के प्रतिशत की गणना कर पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।


अन्तः में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



  
उपायुक्त (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

  
उपायुक्त (उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

  
उपायुक्त (दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

  
निदेशक आयोजना  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

  
निदेशक विधि  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

  
सोबित,  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।  
  
अध्यक्ष,  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।